अध्याय–III

3. संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

राज्य की सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार, न्यूनतम प्रभारों को लगाने में कम्पनी विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप पम्प नहर उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी), पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में फैले हुए अपने खण्डों के माध्यम से विद्युत वितरण के कार्य में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अनुमोदित लागू दर सूची के अनुसार, खण्ड, विद्युत विक्रय हेतु उपभोक्ताओं को बिल जारी करने एवं उनसे राजस्व का संग्रहण करने हेतु जिम्मेदार होते हैं।

दर सूची, एचवी–4 जो कि मध्यम एवं वृहद पम्प नहर उपभोक्ताओं जिनका भार 100 बीएचपी (75 कि.वा.) से अधिक हो पर लागू होती है, के क्लॉज 3 के अनुसार, समय–समय पर यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित दर सूची में निर्धारित प्रभार दर[1] जो कि न्यूनतम प्रभारों के अधीन होती है, के अनुसार विद्युत बिल जारी किये जाने थे। अतएव, यदि बिल योग्य माँग प्रभार एवं विद्युत प्रभार किसी भी माह में न्यूनतम प्रभारों से कम हो तो उपभोक्ता को निर्धारित न्यूनतम प्रभारों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा। अप्रैल 2010 से सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2012 से मई 2013 की अवधि हेतु प्रभावी एचवी–4 दर सूची के अन्तर्गत ₹ 500/केवीए प्रति माह की दर का न्यूनतम प्रभार निर्धारित था।

हमने पाया (अगस्त 2014) कि अप्रैल 2012, दिसम्बर 2012 एवं अप्रैल 2013 माह में विद्युत वितरण खण्ड, चुनार द्वारा नारायनपुर पम्प नहर (स्वीकृत भार 16000 केवीए) को बिल किये गये माँग एवं विद्युत प्रभार निर्धारित न्यूनतम प्रभारों की तुलना में कम थे, जिनका विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1

माह	बिल किये गये माँग एवं विद्युत प्रभार (₹)	प्रति केवीए न्यूनतम प्रभार की दर (₹)	बिल किये जाने योग्य न्यूनतम प्रभार (₹)	अल्प बिलिंग (₹)
1	2	3	4	5(4-2)
अप्रैल 2012	4083666	500	8000000	3916334
दिसम्बर 2012	5653760	500	8000000	2346240
अप्रैल 2013	6322822	500	8000000	1677178
योग	**16060248**		**24000000**	**7939752**

स्रोतः विद्युत वितरण खण्ड, चुनार द्वारा प्रदान की गयी सूचना

[1] माँग प्रभार एवं विद्युत प्रभार।

दर सूची के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रभारों पर उपभोक्ता की बिलिंग की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी। अतएव, निर्धारित न्यूनतम प्रभारों का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण, उपभोक्ता को ₹ 79.40 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मई 2015) और कहा कि मार्च 2015 में उपभोक्ता को अन्तर की धनराशि हेतु पूरक बिल जारी कर दिया गया है। हालांकि, उपभोक्ता द्वारा बिल स्वीकार नहीं किया गया है एवं भुगतान अभी तक लम्बित है (नवम्बर 2015)।

प्रकरण शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.2 उपभोक्ताओं का निर्धारण न करने के कारण राजस्व की हानि

ऐसे उपभोक्ताओं, जिनके मीटर धीमे चल रहे थे, का निर्धारण न करने के कारण कम्पनी ने ₹ 1.21 करोड़ के राजस्व की हानि वहन किया

उ. प्र. विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आपूर्ति संहिता) के क्लॉज 5.6, जो कि खराब मीटरों को बदलने एवं उपभोक्ताओं के पुनर्निर्धारण को शासित करता है, में प्रावधानित है कि यदि मीटर की शुद्धता के बार में युक्तिसंगत संदेह हो तो लाईसेन्सी को ऐसे मीटर की जाँच करने का अधिकार होगा। मीटर की जाँच उपभोक्ता के परिसर पर की जायेगी और यदि लाईसेन्सी द्वारा मीटर धीमा पाया जाता है तथा उपभोक्ता, रिपोर्ट से सहमत होता है तो 15 दिनों के अन्दर ऐसे मीटर को नये मीटर से बदला जायेगा और जिस माह में विवाद उत्पन्न हुआ हो उससे पूर्व के तीन महीनों के बिलों को, जाँच के परिणामों के अनुसार, आगामी बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा।

यदि उपभोक्ता जाँच के परिणामों पर आपत्ति व्यक्त करता है अथवा उपभोक्ता के परिसर पर जाँच करना कठिन हो तो लाईसेन्सी द्वारा खराब मीटर को नये मीटर से बदला जायेगा और ऐसे खराब मीटर को उपभोक्ता की उपस्थिति में सीलिंग के बाद, लाईसेन्सी की प्रयोगशाला/स्वतंत्र प्रयोगशाला जिस पर उपभोक्ता की सहमति हो, में जाँच की जायेगी। जाँच प्रयोगशाला की रिपोर्टों पर आधारित निर्णय अन्तिम होगा और लाईसेन्सी के साथ–साथ उपभोक्ता पर भी बाध्यकारी होगा।

हमने पाया (अक्टूबर 2014) कि कम्पनी के विद्युत परीक्षण खण्ड (ईटीडी), वाराणसी ने विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम (ईडीडी), चन्दौली के एचवी–2 उपभोक्ताओं के 18 मीटरों को अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013 के दौरान बदल दिया था। हालांकि, ईटीडी ने ऐसे बदले गये मीटरों की जाँच न तो उपभोक्ताओं के परिसर पर और न ही अपनी प्रयोगशाला में सम्पादित किया, जिससे कि पुराने मीटरों द्वारा विद्युत उपभोग का सही–सही अभिलेखन न होने की दशा में ईडीडी ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा किये गये विद्युत उपभोग का निर्धारण करने में समर्थ हो सके।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण पर, यह पाया गया कि नये मीटरों द्वारा आगामी तीन माह में अभिलेखित औसत उपभोग, पुराने मीटरों द्वारा पिछले तीन माह में अभिलेखित उपभोग से 10 से 255 प्रतिशत तक अधिक था। ईटीडी एवं ईडीडी, हालांकि, इस तथ्य का संज्ञान लेने में विफल रहे और आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जैसा अपेक्षित था, ऐसे उपभोक्ताओं के विद्युत उपभोग का निर्धारण नहीं किया।

अतएव, ईटीडी के साथ–साथ ईडीडी के स्तर पर विफलता के कारण, कम्पनी ने ₹ 1.21 करोड़[2] के राजस्व की हानि वहन किया।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को जून 2015 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.3 प्रोटेक्टिव लोड की स्वीकृति न देने के कारण राजस्व की हानि

अपोषणीय आधार पर प्रोटेक्टिव लोड की स्वीकृति न देने के कारण कम्पनी ने ₹ 93.52 लाख की राजस्व हानि वहन किया

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा समय–समय पर अनुमोदित टैरिफ आदेशों के सामान्य प्रावधानों के क्लॉज 10 में प्रावधानित है कि 11 केवी एवं इससे उच्च विभव पर उपकेन्द्र से निकलने वाले स्वतंत्र पोषक से आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता प्रोटेक्टिव लोड की सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं और लाईसेन्सी द्वारा की गयी नियत रोस्टरिंग की अवधि के दौरान आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रति माह नियत मूल माँग प्रभार के शत–प्रतिशत की दर से, अनुबंधित प्रोटेक्टिव लोड पर प्रति माह अतिरिक्त प्रभार लगाया जायेगा। रोस्टरिंग की अवधि के दौरान, भार अनुबंधित प्रोटेक्टिव लोड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए अन्यथा ऐसे बढ़े हुए भार पर उपभोक्ता निर्धारित प्रभार का दोगुना भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

हमने पाया (मार्च 2015) कि एक उपभोक्ता, जिसका अनुबंधित भार 3000 केवीए था और जो कम्पनी के विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, इलाहाबाद (खण्ड) द्वारा बिल किया जा रहा था, 33 केवी स्वतंत्र पोषक से रोस्टरिंग मुक्त आपूर्ति प्राप्त कर रहा था। खण्ड ने उपभोक्ता को सलाह दिया (जून 2012) कि वह 15 दिनों के अन्दर प्रोटेक्टिव लोड स्वीकृत करा ले अन्यथा नियत रोस्टरिंग लागू की जायेगी। उपभोक्ता ने 1000 केवीए प्रोटेक्टिव लोड की स्वीकृति हेतु जून 2012 में आवेदन किया। इस दौरान, उपभोक्ता के अनुरोध पर कम्पनी ने उपभोक्ता के भार को दो अलग–अलग संयोजनों, जिनमें प्रत्येक का अनुबंधित भार 2000 केवीए एवं 1000 केवीए था, में विभाजित कर दिया। भार के इस प्रकार विभाजन के कारण, खण्ड ने प्रोटेक्टिव लोड की स्वीकृति हेतु उपभोक्ता के आवेदन पत्र को, इस अभ्युक्ति के साथ कि दोनों उपभोक्ताओं द्वारा पृथक रूप से प्रोटेक्टिव लोड की स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाये, वापस कर दिया।

उपभोक्ताओं ने अनुबंधित भार क्रमशः 2000 केवीए एवं 1000 केवीए के सापेक्ष क्रमशः 800 केवीए एवं 500 केवीए के प्रोटेक्टिव लोड की स्वीकृति हेतु पुनः आवेदन किया (जून 2013)। कम्पनी ने यह कहते हुए कि प्रोटेक्टिव लोड अनुबंधित भार के बराबर स्वीकृत किया जायेगा, यद्यपि नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, प्रोटेक्टिव लोड स्वीकृत नहीं किया (अगस्त 2013)। कम्पनी ने, हालांकि, आपूर्ति प्रतिबंधित नहीं की और दो वर्ष नौ माह तक रोस्टरिंग मुक्त आपूर्ति करती रही। कम्पनी द्वारा प्रोटेक्टिव लोड की स्वीकृति हेतु इंकार करने एवं बिना प्रोटेक्टिव लोड के, नियत रोस्टरिंग के दौरान आपूर्ति जारी रखने से जुलाई 2012 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान ₹ 93.52 लाख[3] के राजस्व की हानि हुई।

---

[2] 2048778 (कम प्रभारित यूनिट) x ₹ 5.90 (विद्युत प्रभार की लागू दर)

[3] (1000 केवीए x ₹ 220 x 4 माह) = ₹ 880000 + (1000 केवीए x ₹ 240 x 8 माह) = ₹ 192000 + (1300 केवीए x ₹ 240 x 21 माह)= ₹ 6552000

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2015) कि उपभोक्ता को प्रोटेक्टिव लोड स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अवसंरचना एवं औद्योगिक विनियोग नीति, 2012 के अनुसार, कम्पनी उपभोक्ताओं को 24 घंटे आपूर्ति प्रदान करने हेतु प्रयास करेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति संहिता/टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी को उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार, उसे प्रोटेक्टिव लोड स्वीकृत करना चाहिए था।

प्रकरण जून 2015 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.4 टैरिफ के गलत प्रयोग करने के कारण राजस्व की हानि

कम्पनी ने दर सूची, एलएमवी–5 के अन्तर्गत आने वाले निजी नलकूप उपभोक्ताओं को नगरीय दर सूची के स्थान पर ग्रामीण दर सूची पर बिल किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.43 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

दक्षिणाँचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), दक्षिणी उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में फैले हुए अपने खण्डों के माध्यम से विद्युत वितरण के कार्य में लगी हुई है। यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित लागू दर सूची के अनुसार, खण्ड, विद्युत विक्रय हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को बिल जारी करने एवं उनसे राजस्व का संग्रहण करने हेतु जिम्मेदार होते हैं।

यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित एवं निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू) उपभोक्ताओं पर अप्रैल 2010, अक्टूबर 2012 एवं जून 2013 से लागू दर सूची, एलएमवी–5 के क्लॉज अ (ii) एवं ब के अन्तर्गत ग्रामीण समय सूची एवं नगरीय समय सूची के अनुसार आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं हेतु अलग–अलग प्रभार दरों का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली) के द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार ग्रामीण समय सूची के अन्तर्गत प्रतिदिन 10 घण्टे के आधार पर आपूर्ति–घण्टे निर्धारित किये गये थे। इसलिए, 10 घण्टे तक आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को ग्रामीण समय सूची हेतु लागू दर के अनुसार बिल किया जाना था और 10 घण्टे से अधिक की आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को नगरीय दर सूची के अनुसार बिल किया जाना था।

हमने पाया (सितम्बर 2014) कि विद्युत वितरण खण्ड (खण्ड), कन्नौज के उपभोक्ताओं को मार्च 2012 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान प्रतिदिन 10 घण्टे की सीमा से अधिक की विद्युत आपूर्ति की गयी थी, किन्तु उन्हें नगरीय समय सूची के बजाय ग्रामीण समय सूची हेतु लागू दर के अनुसार खण्ड द्वारा बिल किया गया था।

अतएव, दर सूची, एलएमवी–5 के प्रावधानों के प्रतिकूल उपभोक्ताओं की बिलिंग किये जाने के कारण, कम्पनी ने ₹ 14.43 करोड़[4] की राजस्व हानि वहन किया।

प्रकरण प्रबंधन एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

---

[4] 122305 बीएचपी x (₹ 130 – ₹ 75)= ₹ 67281775 + 18555811 बीएचपी x (₹ 140 – ₹ 100)= ₹ 74232440 + ₹ 2754025 (रेगुलेटरी सरचार्ज)

3.5 अमान्य ब्याज का समायोजन प्रदान करने के कारण हानि

अमान्य ब्याज का उपभोक्ता को समायोजन प्रदान करने के कारण कम्पनी ने ₹ 43.48 लाख की हानि वहन की

उ. प्र. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (आपूर्ति संहिता) के क्लॉज 6.5 (ब) में प्राविधानित है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी बिल की शुद्धता पर आपत्ति करता है तो वह प्रतिवाद के अधीन भुगतान कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा शिकायत सही पायी जाती है तो सात दिनों की भुगतान अवधि के साथ, सात दिनों के अन्दर संशोधित बिल निर्गत किया जायेगा। यदि प्रतिवाद के अधीन जमा की गयी धनराशि कम पायी जाती है तो शेष धनराशि बिना विलम्ब शुल्क के संशोधित तिथि तक जमा की जायेगी और यदि यह धनराशि अधिक पायी जाती है तो अधिक्य की धनराशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा। अग्रेतर, आपूर्ति संहिता के क्लॉज 6.4 (सी) में प्रावधान है कि लाईसेन्सी के पास पड़ी हुयी असमायोजित बकाया धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

हमने पाया (सितम्बर 2014) कि नवम्बर 2004 से प्रभावी टैरिफ आदेश (10 नवम्बर 2004) में बदलाव के कारण, कम्पनी के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, फर्रूखाबाद (खण्ड) ने संयोजित भार 1800 केडब्ल्यू वाले एक उपभोक्ता[5] की बिलिंग को दर सूची, एलएमवी–4 (अ) (उच्च प्रभार दर वाली) से दर सूची, एलएमवी–1 (ब) (कम प्रभार दर वाली) में विलम्ब से स्थानान्तरित किया (मई 2006)। हालांकि, इसने दिसम्बर 2004 से मार्च 2006 की अवधि के पिछले बिलों को संशोधित नहीं किया। उपभोक्ता ने पिछले बिलों के संशोधन हेतु अनुरोध किया (जुलाई 2006) और पूर्व में उसके द्वारा अधिक भुगतान की गयी धनराशि पर ब्याज की माँग की। खण्ड ने अधिक भुगतान की गयी धनराशि के मद में ₹ 33.90 लाख[6] एवं उस पर ब्याज के मद में ₹ 43.48 लाख[7] का समायोजन प्रदान किया (अगस्त 2013)।

उपभोक्ता के माह अगस्त 2013 के बिल में ब्याज के मद में ₹ 43.48 लाख का प्रदान किया गया समायोजन आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के प्रतिकूल था, जिसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को ₹ 43.48 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2015) कि गलत धनराशि की बिलिंग करने एवं अधिक भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन करने के कारण उपभोक्ता को ब्याज प्रदान किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति संहिता के क्लॉज 6.5 (ब) में अधिक भुगतान की गयी धनराशि पर ब्याज के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

प्रकरण शासन को जून 2015 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

---

[5] गैरिसन इन्जीनियर, फर्रूखाबाद।

[6] एल0एम0वी0–4 (अ) एवं एल0एम0वी0–1(ब) की दरों का अन्तर।

[7] 12 जुलाई 2006 से अगस्त 2013 की अवधि हेतु अधिक भुगतान की गयी धनराशि ₹ 33.90 लाख पर 1.5 प्रतिशत की दर से आगणित।

3.6 कॉस्ट डाटा बुक के संशोधित न होने के कारण हानि

कॉस्ट डाटा बुक के संशोधित न होने के कारण कम्पनी 969 पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं से ₹ 2.16 करोड़ की अन्तर सम्बन्धी धनराशि की वसूली नहीं कर सकी

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (आपूर्ति संहिता) के क्लॉज 4.6 के अनुसार, वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के खण्डों द्वारा उपभोक्ताओं को नये संयोजन प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अनुमोदित कॉस्ट डाटा बुक (सीडीबी) के अन्तर्गत निर्धारित दरों के आधार पर प्राक्कलन (प्रतिभूति धनराशि, सर्विस लाईन, वितरण स्रोत बनाने हेतु यदि आवश्यकता हो, एवं सामग्री तथा सिस्टम लोडिंग प्रभारों आदि को सम्मिलित करते हुए) तैयार किया जाना आवश्यक है। उक्त क्लॉज में यह भी प्राविधानित है कि लाईसेन्सी द्वारा यूपीईआरसी के अनुमोदन से सीडीबी दो वर्षों में एक बार संशोधित की जानी चाहिये। लाईसेन्सी (डिस्कॉम्स) की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अब तक दो सीडीबी प्रथम अक्टूबर 2007 में एवं द्वितीय अप्रैल 2010 में निर्गत किया है।

अप्रैल 2010 में निर्गत सीडीबी का संशोधन अप्रैल 2012 में होना था किन्तु यह अभी तक संशोधित नहीं की गयी है। संशोधन न किये जाने के कारण, अप्रैल 2010 में निर्गत सीडीबी अभी भी लागू थी और 2012—13 से 2014—15 के दौरान खण्डों द्वारा उपभोक्ताओं से, सामग्री की लागत, मार्च 2012 तक लागू रहीं दरों के आधार पर चार्ज की जा रही थी।

हमने पाया कि 2012—13 से 2014—15 के दौरान कम्पनी के तीन खण्डों[8] ने 969 उपभोक्ताओं को निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू) संयोजन अवमुक्त किया और सीडीबी में निर्धारित 25 केवीए उपकेन्द्र की लागत के अनुसार प्रति उपभोक्ता से ₹ 69497 की धनराशि चार्ज किया, जबकि वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान कम्पनी को इसकी लागत क्रमशः ₹ 83441[9], ₹ 91540[9] एवं ₹ 94420[9] थी। हालांकि, सीडीबी के संशोधित न होने के कारण खण्ड, उपभोक्ताओं से सामग्री की वास्तविक लागत चार्ज नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने अन्तर सम्बन्धी धनराशि के रूप में ₹ 2.16 करोड[10] की हानि वहन की जो कि कॉस्ट डाटा बुक का संशोधन न होने के कारण 969 पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जा सकी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और कहा कि 2010 की कॉस्ट डाटा बुक के संशोधित न होने के कारण, नये संयोजन प्रभार 2010 की कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार चार्ज किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीईआरसी के अनुमोदन से अप्रैल 2012 से प्रबंधन द्वारा कॉस्ट डाटा बुक संशोधित करायी जानी थी किन्तु प्रबंधन इसे संशोधित नहीं करा सका।

प्रकरण जून 2015 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

---

[8] 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 में क्रमशः ईडीडी—I आगरा : 62, 139 एवं 103 संयोजन, ईडीडी— II आगरा : 20, 60 एवं 79 संयोजन और ईडीडी—III फतेहाबाद, आगरा : 140, 181 एवं 185 संयोजन।

[9] यूपीपीसीएल द्वारा सम्बन्धित वर्षों हेतु निर्गत कॉस्ट शेड्यूल के अनुसार 25 केवीए0 सब स्टेशन की लागत।

[10] 2012—13 में, 222 संयोजन x ₹ 14944= ₹ 3317568, 2013—14 में, 380 संयोजन x ₹ 23043= ₹ 8756340, एवं 2014—15 में, 367 संयोजन x ₹ 25923 = ₹ 9513741।

पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.7 उपभोक्ताओं को बिल न निर्गत करने के कारण राजस्व की हानि

कम्पनी ने उपभोक्ताओं को बिल निर्गत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.87 लाख के ब्याज के भार को कम करने के अवसर को खोने के अतिरिक्त, कम्पनी ₹ 10.31 करोड़ के राजस्व से वंचित रही

पश्चिमाँचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जनपदों में फैले हुए अपने खण्डों के माध्यम से विद्युत वितरण के कार्य में लगी हुई है। यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित लागू दर सूची के अनुसार, खण्ड, विद्युत विक्रय हेतु उपभोक्ताओं को बिल जारी करने एवं उनसे राजस्व का संग्रहण करने हेतु जिम्मेदार होते हैं।

कम्पनी के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम (खण्ड) मेरठ ने एलएमवी–3 एवं एलएमवी–7 श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिना किसी अभिलेखित कारण के अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 की अवधि के बिल जारी नहीं किया।

उ. प्र. विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आपूर्ति संहिता) के क्लॉज 6.1 सपठित परिशिष्ट–3.1 में दर सूची, एलएमवी–3 (पब्लिक लैम्प हेतु लागू) एवं एलएमवी–7 (पब्लिक वाटर वर्क्स हेतु लागू) के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्तओं की लागू प्रभार दर के अनुसार मासिक बिलिंग हेतु प्रावधान किया गया है।

हमने पाया (मार्च 2015) कि खण्ड के अन्तर्गत एलएमवी–3 में 1319 केडब्ल्यू स्वीकृत भार सहित 22 अनमीटर्ड संयोजन एवं एलएमवी–7 में 1966 बीएचपी स्वीकृत भार सहित 47 मीटर्ड संयोजन थे। मासिक बिलिंग के प्राविधान के बावजूद, खण्ड ने बिना किसी अभिलेखित कारण के एलएमवी–3 एवं एलएमवी–7 श्रेणी के उपभोक्ताओं को अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 की अवधि से सम्बन्धित क्रमशः ₹ 5.02 करोड़ एवं ₹ 5.29 करोड़ के बिल जारी नहीं किये।

परिणामस्वरूप, कम्पनी ₹ 10.31 करोड़ के राजस्व से वंचित रही, इसके अतिरिक्त, विद्युत क्रय हेतु लिये गये अल्पावधि कार्यशील पूँजी ऋणों पर पड़े ₹ 60.87 लाख[11] के ब्याज के भार को कम करने के अवसर को भी इसने खो दिया।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि उपभोक्तओं द्वारा मासिक आधार पर बिलों का सत्यापन न करने के कारण, मासिक बिल नहीं जारी किये गये थे और सरचार्ज भी उपभोक्ताओं द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था, इसलिए ब्याज की हानि की गणना करना उचित नहीं होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार, उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिल जारी किये जाने चाहिए थे और समय से बिल जारी न करने के कारण, दर सूची के अनुसार अनुमन्य विलम्ब भुगतान सरचार्ज लगाने से कम्पनी वंचित रही।

प्रकरण शासन को जून 2015 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

[11] अल्पावधि कार्यशील पूँजी पर देय न्यूनतम ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगणित।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.8 दोषपूर्ण अनुबंध के कारण ब्याज की हानि

कम्पनी ने ठेकेदार द्वारा भुगतान में होने वाली त्रुटि के सम्बन्ध में अनुबंध में पेनाल्टी क्लॉज शामिल नहीं किया और ₹ 2.62 करोड़ की ब्याज की हानि वहन किया

उत्तर प्रदेश राज्य में तापी विद्युत गृहों (टीपीएस) के निर्माण एवं संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की 25 अगस्त 1980 को स्थापना हुई। कम्पनी ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) के साथ, अपने 2X500 मेगावाट अनपरा 'सी' तापी विद्युत प्रोजेक्ट (टीपीपी) को चलाने हेतु कम्पनी की अवसंरचना सुविधाओं एवं सहायक सेवाओं[12] के प्रयोग के लिये आईपीपी को अधिकार प्रदान करने हेतु 12 नवम्बर 2006 को सुविधाएं एवं सेवाएं अनुबंध किया।

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 204 (xii) (अ) एवं (xvi) में प्रावधान है कि ऐसे संविदा/अनुबंध जहाँ किराया प्रभारों के भुगतान पर किसी ठेकेदार को राजकीय सम्पत्ति के प्रयोग हेतु अधिकार प्रदान किया जाता है, नियमित रूप से किराया प्रभारों की वसूली एवं ठेकेदार के स्तर पर भुगतान में होने वाली त्रुटि के सम्बन्ध में दण्ड शुल्क की वसूली हेतु अनुबंधों में विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित किये जाने चाहिए।

अनुबंध के क्लॉज 14.1.1 में प्रावधान था कि अधिकार प्रदान करने के एवज में आईपीपी, टीपीपी की प्रथम यूनिट के प्रारम्भ होने से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अग्रिम रूप में ₹ छः करोड़ की वार्षिक धनराशि का भुगतान, कम्पनी को करेगा। टीपीपी की क्षमता 2X500 मेगावाट से बढकर 2X600 मेगावाट होने के कारण वार्षिक धनराशि बढ़ाकर ₹ 7.20 करोड़ कर दी गयी (अप्रैल 2010)। अग्रेतर, वार्षिक धनराशि में यूनिट के प्रारम्भ होने की तिथि (10 दिसम्बर 2011) के बाद भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में वृद्धि की जानी थी।

हमने पाया (सितम्बर 2014) कि कम्पनी ने, सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, देय तिथि पर वार्षिक धनराशि के भुगतान में आईपीपी द्वारा होने वाली त्रुटि के सम्बन्ध में अनुबंध के अन्तर्गत किसी पेनाल्टी क्लॉज को सम्मिलित नहीं किया यद्यपि कम्पनी द्वारा किये गये अन्य अनुबंधों मे पेनाल्टी क्लॉज निश्चित रूप से सम्मिलित किया गया था।

हमने आगे भी पाया कि आईपीपी ने 2011 से 2015 के दौरान 30 से 369 दिनों के विलम्ब से वार्षिक धनराशि का भुगतान किया। कम्पनी ने केवल 2013 एवं 2014 में हुई भुगतान की त्रुटि के सम्बन्ध में ₹ 1.11 करोड़ (12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगणित) की माँग की और जिसे, आईपीपी ने अनुबंध में पेनाल्टी क्लॉज न होने के कारण मना कर दिया गया। 2011–2015 की अवधि के दौरान आईपीपी द्वारा की गयी कुल त्रुटियों हेतु ब्याज की धनराशि, हालांकि, ₹ 2.62 करोड़ आगणित की गयी (12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगणित) परन्तु अनुबन्ध में पेनाल्टी क्लॉज न होने के कारण इसे आईपीपी से वसूल नहीं किया जा सका।

अतएव, अनुबंध में पेनाल्टी क्लॉज शामिल करने में कम्पनी की विफलता के कारण 2011 से 2015 की अवधि के दौरान, कम्पनी को ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

[12] एम0जी0आर0 सिस्टम, रेलवे साइडिंग, ऑक्जीलरी स्टीम फॉर स्टार्टअप एण्ड ऑपरेटिंग पीरियड, रॉ वाटर इनटेक चैनल, यूजर ऐश फैसिलिटी एवं यूजर स्विचयार्ड फैसिलिटी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2015) कि भुगतान में होने वाली त्रुटि के सम्बन्ध में अनुबंध में पेनाल्टी क्लॉज सम्मिलित करने का प्रकरण अनुबंध की शर्तों के अनुसार गठित प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जायेगा। तथ्य शेष रहता है कि अनुबंध में पेनाल्टी क्लॉज न होने के कारण, कम्पनी आईपीपी द्वारा भुगतान में की गयी त्रुटि के सम्बन्ध में ब्याज प्रभारित नहीं कर सकी।

प्रकरण शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.9 प्रीमियम की वसूली न करने के कारण हानि

कम्पनी ने पट्टाधारक को अनुचित लाभ पहुँचाया एवं अपनी स्वयं की नीति के उल्लंघन में की गयी प्रीमियम की वसूली के कारण ₹ 50.75 लाख की हानि वहन किया

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) औद्योगिक क्षेत्र का विकास करती है एवं उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को पट्टे के आधार पर औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करती है। कम्पनी की विद्यमान नीति के अनुसार, यदि भौतिक कब्जा के समय, वास्तविक क्षेत्रफल एवं आवंटन पत्र में अंकित क्षेत्रफल में 20 प्रतिशत अधिक तक का अन्तर पाया जाता है, तो अधिक पाये गये क्षेत्रफल पर वसूल किये जाने वाले प्रीमियम की दर मूल आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर होगी। अग्रेतर, यदि यह अन्तर 20 प्रतिशत से अधिक है तो पट्टाधारक को अधिक पाये गये क्षेत्रफल की सूचना के दिन लागू प्रीमियम की दर के आधार पर सम्पूर्ण अधिक क्षेत्रफल हेतु प्रभारित किया जायेगा। कम्पनी ने विद्यमान नीति को संशोधित किया (जून 2012), जिसके अनुसार, यदि अधिक क्षेत्रफल, 20 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो 20 प्रतिशत तक के अधिक क्षेत्रफल के लिये प्रीमियम, आवंटन के दिन लागू दर के अनुसार एवं अवशेष अधिक क्षेत्रफल के लिये वर्तमान दर के अनुसार आरोपित किया जाना था।

हमने देखा कि एक पट्टाधारक, जिसके पास 5053.25 वर्गमीटर आवंटित[13] क्षेत्रफल के सापेक्ष 7663.25 वर्गमीटर के वास्तविक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड संख्या सी–19 पर कब्जा था, ने उस भूखण्ड को एक फर्म को हस्तान्तरित किया (21 नवम्बर 2006)। उपर्युक्त भूखण्ड के नियमितीकरण हेतु, कम्पनी ने आवंटन पत्र में अंकित क्षेत्रफल (5053.25 वर्ग मीटर) से अधिक पाये गये 2610 वर्ग मीटर के भूखण्ड क्षेत्र के लिये ₹ 42.06 लाख की माँग की। 2610 वर्ग मीटर का अधिक क्षेत्रफल एक सर्विस रोड पाया गया और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) से सटा था। हालांकि, यह पट्टाधारक द्वारा अतिक्रमित था एवं अन्य फर्म को हस्तान्तरित किया गया था। हमने आगे देखा कि पट्टाधारक ने धनराशि जमा नहीं किया तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया (2009)। उसी दौरान, कम्पनी ने अपनी संशोधित नीति के तहत अतिक्रमित भूमि के नियमितीकरण के लिये ₹ 52.90 लाख की माँग की (जनवरी 2013)। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (अक्टूबर 2013) में आदेश प्राप्ति के दिन से तीन माह की अवधि के अन्दर पट्टाधारक को सुनने का मौका प्रदान करते हुए पट्टाधारक के प्रत्यावेदन पर विचार करने एवं निर्णय लेने हेतु कम्पनी को निर्देश दिया।

---

[13] औद्योगिक क्षेत्र, सरोजिनी नगर, लखनऊ में 19 नवम्बर 1977 को क्रियान्वित पट्टा विलेख के द्वारा आवंटित।

प्रकरण, अतिरिक्त भूमि की कीमत हेतु आवेदन की तिथि पर लागू कीमत के साथ–साथ 15 प्रतिशत साधारण ब्याज को प्रभारित करने विषयक माननीय उच्च न्यायालय के मनीषा मन्दिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिये गये निर्णय को उद्धृत करते हुए, निदेशक मंडल (बीओडी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2013)। उक्त तथ्य के आधार पर, बीओडी ने 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ–साथ मूल आवंटन के समय लागू ₹ 11.70 प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त अतिक्रमित भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, कम्पनी ने 2610 वर्ग मीटर भूमि के अतिरिक्त क्षेत्रफल के उपर्युक्त मामले में ₹ 52.90 लाख वसूली योग्य धनराशि के सापेक्ष ₹ 2.15 लाख में अन्तिम निपटारा कर दिया (अगस्त 2014)। हमने पाया कि मामले के समस्त तथ्यों को बीओडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मनीषा मन्दिर के मामले में, माननीय न्यायालय ने पाया कि यह खोई बच्चियों का अनाथालय था एवं अतिरिक्त भूमि भूखण्ड से सटी एक 1.5 मीटर चौड़ी भूमि (मूल आवंटित क्षेत्रफल का आठ प्रतिशत) की पट्टी थी एवं किसी अन्य उपयोग की नहीं थी, इसलिये, यह शुरूआत से मूल पट्टाधारक को आवंटित किया जाना चाहिये था।

प्रश्नगत प्रकरण में अतिरिक्त भूमि सर्विस रोड थी, जिसे पट्टाधारक द्वारा अतिक्रमित किया गया था एवं मूल आवंटित क्षेत्रफल का 51.65 प्रतिशत थी। हालांकि, दोनों मामलों में असामनता वाले उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यों से बीओडी को अवगत नहीं कराया गया। मामले के इस तथ्य को छिपाने से, बीओडी को ₹ 50.75 लाख (₹ 52.90 लाख–₹ 2.15 लाख) के प्रीमियम की आवश्यक धनराशि की वसूली किये बिना पट्टाधारक के पक्ष में निर्णय लेने की स्थिति मे ंरखा गया।

प्रबन्धन एवं सरकार ने बताया (जुलाई एवं अगस्त 2015) कि माननीय न्यायालय के दिनांक 24 अक्टूबर 2013 के पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, मृत पट्टाधारक की उत्तराधिकारी (पत्नी) की ओर सहानुभूति रखते हुए, बीओडी ने मूल आवंटन (1977) के समय प्रचलित ₹ 11.70 प्रति वर्ग मीटर की दर से 2610 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्र का आवंटन करने का निर्णय लिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, अतिक्रमित भूमि को पुराने दर पर आवंटन करने हेतु निर्देशित नहीं करता है। अग्रेतर, बीओडी, जिसने मामले का पट्टाधारक के पक्ष में निर्णीत किया, को दिग्भ्रमित किया गया क्योंकि मामले के सभी तथ्यों को बीओडी के संज्ञान में कभी भी नहीं लाया गया।

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश जल निगम

3.10 ठेकेदार को वैट का अतिरिक्त भुगतान

निगम ने इस जानकारी के बावजूद कि प्रदत्त दरों में वैट पहले से शामिल है, ठेकेदार को वैट के रूप में ₹ 93.10 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया

दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि) ने फिरोजाबाद जिले में ₹ 5.86 करोड़ की लागत के चार[14] 33/11 सब स्टेशनों, 33 केवी एवं 11 केवी की सम्बद्ध लाईनों के साथ–साथ तथा बांदा जिले में ₹ 7.20 करोड़ की लागत के तीन[15] 33/11 केवी सब स्टेशनों, 33 केवी एवं 11 केवी की सम्बद्ध लाईनों के साथ–साथ, के निर्माण कार्य को टर्न की आधार पर प्रदान किया (अक्टूबर 2010)।

[14] 1X5 एमवीए क्षमता के तीन सब स्टेशन एवं 2X5 एमवीए क्षमता का एक सब स्टेशन।

[15] 1X5 एमवीए क्षमता के सभी सब स्टेशन।

उपर्युक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ (निगम) की कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज विंग ने सामग्रियों की आपूर्ति एवं निर्माण के लिये एक ठेकेदार[16] से 8 दिसम्बर 2010 को फिरोजाबाद[17] हेतु तथा 25 अप्रैल 2011 को बांदा[18] हेतु अनुबन्धों को सम्पादित किया।

फिरोजाबाद से सम्बन्धित अनुबन्ध के क्लॉज 16 (i) एवं बांदा से सम्बन्धित अनुबन्ध के क्लॉज 8.2 एवं 8.6 में प्रावधानित है कि दर सूची में अंकित दरें सभी करों एवं प्रशुल्कों जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर/व्यापार कर, सेवा कर इत्यादि सहित हैं एवं इसके सापेक्ष कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना था।

हमने पाया (अगस्त 2014) कि निगम ने फरवरी 2013 से अक्टूबर 2013 के दौरान ₹ 12.27 करोड़ के कुल दावे के सापेक्ष ठेकेदार को ₹ 11.27 करोड़[19] का भुगतान किया एवं ₹ एक करोड़ की वैट धनराशि, जो कि प्रदत्त दरों में पहले से शामिल थी, को रोक लिया। बाद में, निगम ने उक्त रोकी गयी वैट की धनराशि के विरूद्ध ₹ 93.10 लाख, ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी अण्डरटेकिंग के आधार पर, अवमुक्त किया (फरवरी 2013 से दिसम्बर 2014) कि यदि दविविनिलि ने इस धनराशि को भुगतान करने से मना किया तो वे इसे निगम को वापस कर देंगे।

अतएव, यह तथ्य जानते हुए कि प्रदत्त दरों में वैट का अंश पहले से शामिल है, प्रदत्त दरों के अलावा ठेकेदार को वैट का भुगतान के कारण ठेकेदार को ₹ 93.10 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ एवं निगम को हानि हुई।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

3.11 सम्पत्ति के विक्रय के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण हानि

परिषद ने नीलामी तिथि से पूर्व पुनरीक्षित दर की सूचना के बावजूद पूर्व–पुनरीक्षित दर के आधार पर तय आरक्षित मूल्य पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी पर ₹ 2.62 करोड़ के राजस्व की हानि वहन किया

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) को समाज के विभिन्न वर्गों की आवास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहन योग्य दरों पर आवास/भूखण्डों को उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ अप्रैल 1966 में स्थापित किया गया। परिषद अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भूमि का अधिग्रहण, भूमि का विकास, सम्पत्तियों का निर्माण एवं सम्पत्तियों का आवंटन/विक्रय सम्बन्धी गतिविधियों को संचालित करता है।

परिषद नीलामी के माध्यम से ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (जीएचपी) को निजी बिल्डरों को बेचता रहा है। आवास आयुक्त द्वारा निर्गत निर्देशों (2004) के अनुसार नीलामी के लिए रखे गये जीएचपी का आरक्षित मूल्य, परिषद के आवासीय भूखण्डों के प्रचलित मूल्यों का 1.5 गुना में 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज एवं कार्नर प्लाट की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज जोड़कर निर्धारित किया जाता है। नीलामी के लिए रखे गये जीएचपी का

---

[16] साकेत निर्माण, लखनऊ वर्तमान में ट्राई–विज इन्फ्राकॉन प्रा. लि., लखनऊ।

[17] चार सब स्टेशन एवं सम्बद्ध लाईनें ₹ 5.64 करोड़।

[18] तीन सब स्टेशन एवं सम्बद्ध लाईनें ₹ 6.85 करोड़।

[19] फिरोजाबादः ₹ 5.69 करोड़ एवं बांदाः ₹ 5.58 करोड़।

अनुमानित विक्रय मूल्य का, आरक्षित मूल्य से सीधा सम्बन्ध है क्योंकि विक्रय या तो आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक पर किया जा सकता है।

हमने पाया (अगस्त 2014) कि परिषद ने 12 मार्च 2013 को अवध विहार योजना, लखनऊ (एविवाईएल) के अधीन आवासीय भूखण्डों की दरों को ₹ 10000 प्रति वर्ग मीटर से ₹ 13000 प्रति वर्ग मीटर पुनरीक्षित किया जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी थी। परिषद ने दरों में वृद्धिमान संशोधन की सूचना के बावजूद, एविवाईएल के सेक्टर 7 डी के जीएचपी की 30 मार्च 2013 को नीलामी हेतु, आवासीय भूखण्डों हेतु लागू आधार मूल्य ₹ 10000 के 1.5 गुना में 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज एवं 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज जोड़कर आगणित ₹ 18480 प्रति वर्ग मीटर के आरक्षित मूल्य पर, नीलामी की सूचना जारी किया (20 मार्च 2013)।

वित्तीय औचित्य के प्रकरण के दृष्टिगत, उपर्युक्त जीएचपी की नीलामी, अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये, पुनरीक्षित आरक्षित मूल्य लागू होने की अवधि में की जानी चाहिए थी। नीलामी को 12 दिन टालने के बजाय, परिषद ने एविवाईएल के 7870 वर्ग मीटर माप के जीएचपी को ₹ 20700 प्रति वर्ग मीटर की दर पर एक बिल्डर को नीलाम किया जो कि पुनरीक्षित आधार मूल्य ₹ 13000 के 1.5 गुना में 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज एवं 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज जोड़कर आगणित ₹ 24024 प्रति वर्ग मीटर के आरक्षित मूल्य से काफी कम था।

परिणामस्वरूप, परिषद जीएचपी का अधिक मूल्य प्राप्त करने में विफल रहा एवं ₹ 2.62 करोड़ (₹ 24024– ₹ 20700 x 7870 वर्ग मीटर) के राजस्व की हानि वहन की।

शासन ने बताया (जून 2015) कि जीएचपी का विक्रय वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित जीएचपी के विक्रय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये किया गया था एवं कोई हानि नहीं हुई क्योंकि नीलामी आरक्षित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएचपी की नीलामी, दरों के पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए टाल देना चाहिए था, जो कि नीलामी के मात्र दो दिन बाद ही प्रभावी थीं।

3.12 सम्पत्ति के विक्रय से हानि

परिषद ने आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की नीलामी पर ₹ 3.12 करोड़ की हानि वहन किया

परिषद नीलामी के माध्यम से जीएचपी को निजी बिल्डरों को बेचता रहा है। आवास आयुक्त द्वारा निर्गत (2004) निर्देशों के अनुसार, जीएचपी की नीलामी के लिये आरक्षित मूल्य परिषद के आवासीय भूखण्डों के प्रचलित मूल्य के 1.5 गुना में 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज एवं कॉर्नर का प्लाट होने पर 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज जोड़कर तय किया जाता है। परिषद ने यह भी आदेश दिया (मार्च 2006) कि यदि परिषद ने नजदीकी भूमि की नीलामी उपर्युक्त आरक्षित मूल्य से ज्यादा/कम पर की है तो पहले बेची गयी भूमि की नीलामी दर को आरक्षित मूल्य के निर्धारण में ध्यान में रखा जायेगा। नीलामी के लिए रखे गये जीएचपी का अनुमानित विक्रय मूल्य का, आरक्षित मूल्य से सीधा सम्बन्ध है क्योंकि विक्रय या तो आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक पर किया जा सकता है।

हमने पाया कि परिषद ने अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–3 में 9280.66 वर्ग मीटर माप के एक जीएचपी संख्या 3/जीएच–06 को ₹ 31600 प्रति वर्ग मीटर की दर पर नीलाम किया (28 फरवरी 2013)। उपर्युक्त नीलामी दर का संज्ञान होने के बावजूद, परिषद ने 10060 वर्ग मीटर माप के सटे हुए कार्नर जीएचपी संख्या 3/जीएच–5 का

आरक्षित मूल्य आवासीय मूल्य ₹ 10000 में 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज एवं 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज जोड़कर आगणित ₹ 18480 प्रति वर्ग मीटर तय किया (मार्च 2013) एवं उसे ₹ 28500 प्रति वर्ग मीटर की दर पर नीलाम किया (30 मार्च 2013)। नीलाम किये जाने वाले भूखण्ड (संख्या 3/जीएच–05) का आरक्षित मूल्य परिषद द्वारा नियत मूल्य ₹ 18480 प्रति वर्ग मीटर के सापेक्ष सटे हुए भूखण्ड की नीलामी दर के आधार पर ₹ 31600 प्रति वर्ग मीटर आगणित किया जाना चाहिये था।

अतएव, भूखण्ड (संख्या 3/जीएच–05) का आरक्षित मूल्य ₹ 31600 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर ₹ 18480 प्रति वर्ग मीटर के गलत निर्धारण के कारण, परिषद ने उक्त भूखण्ड के लिये ₹ 28500 प्रति वर्ग मीटर की बोली को स्वीकार किया एवं ₹ 3.12 करोड़ {(₹ 31600 – ₹ 28500) x 10060} वर्ग मीटर की हानि वहन की।

प्रबन्धन एवं शासन ने बताया (जुलाई 2015) कि नजदीकी भूखण्ड के नीलामी सम्बन्धी प्रावधान, जैसा कि कास्टिंग गाइडलाइन्स के प्रस्तर 16.1 में वर्णित है, वाणिज्यिक भूखण्डों के लिये था एवं जीएचपी के लिए नही था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि मार्च 2006 में आवास आयुक्त द्वारा निर्गत आदेश स्पष्ट प्रावधानित करता है कि जीएचपी हेतु आरक्षित मूल्य का निर्धारण कास्टिंग गाइडलाइन्स के प्रस्तर 16.1 के प्रावधान को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

विनीता मिश्रा

लखनऊ
दिनांक 25 जनवरी 2016

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 27 जनवरी 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक